अनुच्छेद–35A

स्रोत– 'इंडियन एक्सप्रेस' || '09 अगस्त, 2018'

IAS PCS

एक नजर में...

अनुच्छेद 35A

चर्चा में क्यों?

जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद-35ए की संवैधानिकता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टल गयी है।

राज्य सरकार ने स्थानीय और पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए सोमवार को होने वाली सुनवाई टालने का आग्रह किया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर तीन याचिकाओं में अनुच्छेद-35ए के कारण वहां विभिन्न वर्गो के साथ हो रहे भेदभाव का आरोप लगाया गया है और इसे निरस्त करने की मांग की गई है।

परिभाषा

1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। इसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है।

इसे संविधान के मूल भाग में नहीं, बल्कि परिशिष्ट (Appendix) में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद-35A से जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिलता है।

इसका मतलब है कि राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे।

क्या है?

संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह 'स्थायी नागरिक' की परिभाषा तय कर सके।

संविधान के अनुच्छेद-35A को 14 मई, 1954 में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के आदेश से संविधान में जगह मिली थी।

संविधान सभा से लेकर संसद की किसी भी कार्यवाही में, कभी अनुच्छेद 35A को संविधान का हिस्सा बनाने के संदर्भ में किसी संविधान संशोधन या बिल लाने का जिक्र नहीं मिलता है।

पक्ष में तर्क

सरकार ने धारा-370 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल अनुच्छेद-35A को लागू करने के लिए किया था।

यह धारा 370 का ही हिस्सा है। इस धारा की वजह से कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है।

हटाने की मांग क्यों?

इसे खत्म करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस अनुच्छेद को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है।

दूसरा कारण ये है कि इस अनुच्छेद के ही कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज भी राज्य के मौलिक अधिकार और अपनी पहचान से वंचित हैं।

नोट- अनुच्छेद 35A संविधान की किसी किताब में नहीं मिलता। हालांकि संविधान में अनुच्छेद-35 (स्मॉल ए) जरूर है, लेकिन इसका जम्मू-कश्मीर से कोई सीधा संबंध नहीं।

विपक्ष में तर्क

यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सीमित करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नगण्य तो करता ही है, साथ ही यह नैसर्गिक अधिकारों के प्रति भी विरोधाभाषी चरित्रों वाला है।

इसे लागू करने की पद्धति भी अलोकतांत्रिक है।

विधि के शासन का प्रथम सिद्धांत है कि विधि के समक्ष देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिये।

विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु संविधान लिखित आश्वासन (अनुच्छेद 14) भी प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद-35 (A) भारत में ही दोहरी विधिक-व्यवस्था का निर्माण करता है।

यह राज्य सरकार को अपने राज्य के निवासियों के लिये विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है।

यह अन्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, केवल इस आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

घाटी में हालत अत्यंत ही संवेदनशील हैं और इन हालातों में इसे खत्म करना कश्मीरियों के भारत से जुड़ाव को और भी कमजोर करने का काम करेगा।

इसके तहत राज्य विधायिका के अधिकार असीमित नहीं हैं और केवल रोजगार, संपत्ति और छात्रवृत्ति के मामले में ही इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है।